रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 238] नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 1970/आषाढ़ 8, 1892
No. 238] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 1970/ASADHA 8, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June 1970

S.O. 2249.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 5 of the Calcutta Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints the Calcutta Chipping, Painting and Ships Labour Contractors' Association, as the Administrative Body for the purpose of carrying on the day-to-day administration of the said Scheme.

[No. 52/11/70-P&D.]

T. S. SANKARAN, Jt. Secy.

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून 1970

का० आ० 2249.—कलकत्ता छंटाई और रंगाई कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम 1970 के खण्ड 5 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार कलकत्ता,

चिपिंग, पेंटिंग एन्ड शिप्स लेबर कान्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन को उक्त स्कीम के दिन प्रतिदिन के प्रशासन को चलाने के प्रयोजन के लिये प्रशासनिक निकाय के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है ।

[सं० 52/11/70-पी० एण्ड डी०]

टी० एस० शंकरन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970